

समाहरणालय, बक्सर।

प्रेषक,

पत्रांक—...../4/8/...../

उप विकास आयुक्त
बक्सर।

सेवा में,

सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी
बक्सर जिला।

बक्सर, दिनांक—...31.08.2017.../

विषय :-

कार्यालय में संघारित सरकारी बैंक खाते की जाँच प्रतिवेदन प्रपत्र A, B एवं C में उपलब्ध कराने से संबंधित बैठक।

प्रसंग :-

जिला पदाधिकारी, महोदय का पत्रांक 10-2134 दिनांक 29.08.2017 एवं पत्रांक 10-2133 दिनांक 29.08.2017

महाशय,

भागलपुर जिले में सरकारी खाते से जालसाजी द्वारा धोखाघड़ी, वित्तीय अनियमिता तथा सरकारी राशि की अवैध निकासी प्रकाश में आने के पश्चात् वित्त विभाग एवं मुख्य सचिव बिहार पटना द्वारा दिए गए निदेश के आलोक में जिला पदाधिकारी महोदय, बक्सर द्वारा सभी DDO'S के खातों की जाँच कराने एवं निर्धारित प्रपत्र प्राप्त करने के लिए अद्योहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में एक जाँच समिति का गठन किया गया है। इस संदर्भ में कार्य में तिव्रता लाने एवं ससमय जाँच पूर्ण करने हेतु सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की बैठक दिनांक...06.09.2017...को पूर्वाह्न...11.00...समाहरणालय में रखी गयी है।

अतः अनुरोध है कि उक्त बैठक में ससमय भाग लेना सुनिश्चित करें। साथ ही अनुरोध है कि यदि आपके कार्यालय का बैंक लेखा जाँच एवं निर्धारित प्रपत्र पूर्ण हो गया हो तो इस बैठक में उसे साथ लेते आएं।

विश्वासराजन

उप विकास आयुक्त
बक्सर।